

व्यवसाय सहायता विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गया

पट्टे (लीज़) के आधार पर परिसर प्राप्त करने के लिए निविदा दस्तावेज़ का प्रारूप.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गया द्वारा नवादा शाखा (जिला नवादा) के लिए दीर्घकालीन लीज़ (किराये) के आधार पर उपयुक्त परिसर हेतु सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं. लगभग 1000 से 1300 वर्ग फुट (83.61 से 120.77 वर्ग मीटर) कार्पेट क्षेत्र वाले परिसर के लिए इच्छुक मालिकों / पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों से आवेदन आमंत्रित हैं. परिसर नवादा में स्थित होना चाहिए और प्राथमिकता भूतल को दी जाएगी, जिसमें मुख्य सड़क से उचित प्रवेश हो तथा सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हों, जिनमें पर्याप्त चिन्हित पार्किंग स्थान और 10 KVA विद्युत कनेक्शन शामिल हों. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं. ये प्रारूप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय तथा मोहनपुर शाखा में भी उपलब्ध हैं, जिन्हें कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किया जा सकता है.

पूर्व-योग्यता के लिए न्यूनतम मानदंड निम्नानुसार होंगे:

क. आवेदक(गण) परिसर के वैध स्वामी/स्वामियों या विधिवत अधिकृत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होने चाहिए.

ख. आवेदक(गण) आयकरदाता होने चाहिए, उनके पास पैन नंबर होना चाहिए तथा उनके आयकर रिटर्न अद्यतन होने चाहिए.

ग. भवन का निर्माण सक्षम विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया होना चाहिए. भवन का रखरखाव अच्छा होना चाहिए तथा उसकी आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

घ. परिसर अच्छी आवासीय/व्यावसायिक क्षेत्र में, भूतल/प्रथम तल पर स्थित होना चाहिए, जहाँ उचित पहुँच हो तथा समर्पित पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध हो.

ङ. भवन किसी विशेष जोखिम जैसे आग, जलभराव, बाढ़ आदि से मुक्त होना चाहिए. छत की स्पष्ट ऊँचाई 2.74 मीटर (9 फीट) से कम नहीं होनी चाहिए.

च. परिसर में चौबीसों घंटे पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता होनी चाहिए तथा स्थानीय नगर निकाय से आवश्यक स्वीकृतियाँ/अनुमतियाँ प्राप्त होनी चाहिए.

व्यवसाय सहायता विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गया

छ. मकान मालिक को नगर पालिका, नगर निगम तथा राजस्व विभाग से संबंधित सभी बकाया और वैधानिक देनदारियों का भुगतान किया हुआ होना चाहिए.

ज. परिसर (अपार्टमेंट के मामले में) के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी अधिभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध होना चाहिए, ताकि परिसर को लीज पर दिया जा सके.

झ. मकान मालिक बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक परिवर्तन/संशोधन (जैसे पुरुष/महिला/कार्यकारी शौचालय का निर्माण, रिकॉर्ड/स्टेशनरी कक्ष की व्यवस्था आदि) करने के बाद तुरंत परिसर का खाली कब्जा देने की स्थिति में होना चाहिए.

1. निविदाएँ प्रस्तुत करने की विधि: निविदाएँ केवल सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए. निविदा लिफाफे तीन भागों में होंगे.

क. प्रथम लिफाफा: तकनीकी बोली लिफाफा – इस लिफाफे में आवेदन का भाग-I, जिसे बोलीदाता/बोलीदाताओं द्वारा सभी पृष्ठों पर विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया हो, आवश्यक संलग्नकों सहित शामिल होना चाहिए. लिफाफा बंद एवं सीलबंद होना चाहिए तथा उस पर “नवादा शाखा हेतु तकनीकी बोली (परिशिष्ट क के अनुसार)” अंकित होना चाहिए. साथ ही लिफाफे पर बोलीदाता का नाम और पता भी उल्लेखित होना चाहिए.

ख. द्वितीय लिफाफा: वित्तीय बोली लिफाफा – इस लिफाफे में आवेदन का भाग-II शामिल होना चाहिए, जिसे बोलीदाता/बोलीदाताओं द्वारा सभी पृष्ठों पर विधिवत हस्ताक्षरित किया गया हो. यह लिफाफा बंद एवं सीलबंद होना चाहिए तथा उस पर “नवादा शाखा हेतु वित्तीय बोली (परिशिष्ट ख के अनुसार)” अंकित होना चाहिए. साथ ही लिफाफे पर बोलीदाता/बोलीदाताओं का नाम और पता भी उल्लेखित होना चाहिए.

ग. तृतीय लिफाफा: प्रथम एवं द्वितीय दोनों लिफाफों के साथ सहमति पत्र (परिशिष्ट-ग) को तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए तथा उस पर “नवादा शाखा” अंकित होना चाहिए. यह लिफाफा सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, बिज़नेस सपोर्ट विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गया के नाम संबोधित किया जाना चाहिए.

2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 25.03.2026 को 16:00 बजे तक है.

3. जमा करने का स्थान: सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गया.

व्यवसाय सहायता विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गया

4. निविदाएँ सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गया में बैंक द्वारा नियत की जाने वाली तिथि पर खोली जाएंगी.
5. बोलीदाता यह सुनिश्चित करें कि निविदा निर्दिष्ट तिथि एवं समय से पहले बैंक को प्राप्त हो जाए. डाक या किसी भी प्रकार की देरी के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाएँ अस्वीकृत की जा सकती हैं और इस संबंध में निर्णय पूर्णतः बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर होगा.
6. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार, अस्वीकार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. साथ ही बैंक को यह भी अधिकार है कि वह किसी तकनीकी रूप से उपयुक्त बोलीदाता/बोलीदाताओं को, भले ही वे न्यूनतम दर वाले न हों, उचित समझते हुए कार्यादेश प्रदान कर सकता है.
7. केवल बिना शर्त निविदाएँ ही स्वीकार की जाएंगी. किसी भी शर्तयुक्त निविदा को अस्वीकृत किया जा सकता है. यदि कोई बोलीदाता वित्तीय प्रभाव वाली कोई शर्त लगाना चाहता है, तो उसे निविदा में उचित रूप से समाहित करना चाहिए और अलग से कोई शर्त निविदा में नहीं जोड़नी चाहिए.
8. बैंक तकनीकी बोली में दी गई जानकारी के आधार पर, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तावों का चयन करेगा, जैसे कि प्रस्तावित स्थल की स्थिति, प्रस्तुत परिसर का क्षेत्रफल, मुख्य सड़क से पहुँच, उपलब्ध पार्किंग सुविधा, सुविधाएँ एवं अन्य अवसंरचना (जैसे लिफ्ट, बैंकअप डीजी सेट आदि) तथा तकनीकी बोली में उल्लिखित अन्य आवश्यक शर्तें.
9. तकनीकी बोली के आधार पर प्रस्तावों की शॉर्टलिस्टिंग के बाद ही वित्तीय बोली खोली जाएगी. वित्तीय बोली केवल उन्हीं शॉर्टलिस्ट किए गए प्रस्तावों के लिए भविष्य में निर्धारित तिथि पर खोली जाएगी, जिसकी सूचना बाद में संबंधित बोलीदाताओं को दी जाएगी.
10. प्रस्ताव के चयन के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा.
11. किसी भी विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं सभी पर बाध्यकारी होगा.
12. किराया: बैंक मकान मालिक से परिसर का कब्जा लेने की तिथि से किराया देना प्रारंभ करेगा. कब्जा लेने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यक अधिभोग प्रमाणपत्र मकान मालिक द्वारा संबंधित प्राधिकरण से प्राप्त कर लिया गया हो तथा मकान मालिक द्वारा सहमति अनुसार



व्यवसाय सहायता विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गया

किए जाने वाले सभी परिवर्तन/संशोधन बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण कर लिए गए हों. परिसर का संयुक्त मापन फ्लोर एरिया के आधार पर किया जाएगा. बैंक को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं जैसे लिफ्ट, उपयुक्त स्थान पर डीजी/एसी की स्थापना, छत तक पहुँच, छत पर वी-सैट/डीजी की स्थापना, रखरखाव आदि के लिए कोई अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा.

13. लीज दस्तावेज़ का निष्पादन: जब परिसर बैंक द्वारा लीज पर ले लिया जाएगा, तब बैंक के मानक लीज प्रारूप के अनुसार लीज डीड निष्पादित की जाएगी तथा इसे संबंधित प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया जाएगा. पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क का वहन मकान मालिक और बैंक द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाएगा.

अभिषेक कुमार सिन्हा

(मुख्य प्रबंधक)

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की ओर से,

क्षेत्रीय कार्यालय,

गया